न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2017 (उदयपुर डिकी)

श्री धर्मराज जी स्थान देह जरिये बंशीलाल पिता श्री सवलाल गुर्जर, निवासी वरणी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नाना पिता रामा बलाई, निवासी वरणी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 20.12.2016 प्र.सं. 243/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री अरूण जैन अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक र. सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

29–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वरणी में आराजी नंबर 1190, 1201 व 1282 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है जो धर्मराज जी स्थान देह के नाम दर्ज है, जिसकी मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबन्दी संवत 1994 पेश है। धर्मराज स्थान देह की सेवा पूजा

कसना पिता देवा जी बलाई करते थे तथा पुजारी कसना की मृत्यु के बाद सेवा पूजा उसका पुत्र रामा करता है, परन्तु उक्त रामा ने मृतक कसना के बजाय अपने आपको खातेदार बताते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसे पुनः धर्मराज जी स्थान देह के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित भूमि का खातेदार वादी धर्मराज जी स्थान देह को घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10–05–1999 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की गयी, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 नाना ने इस न्यायालय में अपील संख्या 51/99 प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30–03–2000 को खारिज कर दी गयी, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 18–04–2006 को स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली रिमाण्ड होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 20–12–2016 से अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कद दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा दिनांक 01–02–2017 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर विलम्ब के कारणों को उल्लेखित करते हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि उक्त निर्णय की नकल अपीलान्ट को दिनांक 23–01–2017 को प्राप्त हुई है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दाहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि वादी ने अपने वाद को साबित कराने के लिए समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिन पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है, जबकि मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से उसकी भूमि का हस्तान्तरण हो ही नहीं सकता। अतः अपील स्वीकार को जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में खातेदार के कॉलम में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी कसना जी का नाम बतौर पुजारी व खड़मदार के रूप में दर्ज है तथा मालिक हासिल के कॉलम में धमराज जी स्थान देह दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के नाम दर्ज है। धर्मराज जी स्थान देह की ओर से बंशीलाल पिता सवलाल गुर्जर ने वाद प्रस्तुत किया है, किन्तु यह वाद उन्होंने किस हैसियत से पेश किया है, यह वह साबित नहीं करा सके हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रकरण का विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–12–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

श्री धर्मराज जी स्थान देह जरिये बंशीलाल पिता सवलाल गुर्जर, नि. वरणी, तहसील वल्लभनगर — बनाम — नाना पिता रामा बलाई, निवासी वरणी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.......**11/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**.....
...........**वल्लभनगर**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**20**.............माह..............
12............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**29**....माह........**07**.......सन् **2019** रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी...........श्री अरूण जैन............मिनजानिब अपीलान्ट व..........श्री खेमराज डांगी.......

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20—12—2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**29**......माह.......**07**...
........**2019**
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।